FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0326 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/12/2025 14:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 04/12/2025 Date To (दिनांक तक): 08/12/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:40 बजे Time To (समय तक): 12:21 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/12/2025 Time (समय): 13:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 10/12/2025 14:26:16 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 65 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): PANCHYAT SAMATI TIRAHA BAYANA, JILA BHARATPUR

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LET.LAKHAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NANGALA HOTA,POST MADANPUR, BAYANA, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NANGALA HOTA,POST MADANPUR, BAYANA, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AKLESH KUMAR MEENA		पिता:BRAJMOHAN MEENA	1. RITHAULI,POST GANVARA MEENA,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, ACB करौली विषय ट्रेप करवाने बावत महोदय निवेदन है कि मै नंगला होता गांव का रहने वाला हूं मेरे पिताजी श्री लखन सिंह की मृत्यु 12.11.2022 को हो जाने पर मैने व मेरे परिवारजन ने पैतृक जमीन का हमारे नाम नामान्तकरण के लिये माह अगस्त 2025 में फाईल तैयार करवाकर हमारे गांव के पटवारी अखिलेश के मार्फत तहसील बयाना में जमा करवाई हमारा नामन्तकरण नहीं खुलने पर मै पटवारी से मिला तो पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण खोलने हेतु मेरे से 7000 रू. मांगे पटवारी अखिलेश बिना रिश्वत के हमारा विरासत का नामान्तकरण नहीं खोल रहा है मै ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते हुये ट्रेप करवाना चाहता हूं कार्यवाही करने की कृपा करें हस्ताक्षर प्रार्थी-नरेश कुमार 04.12.2025 नाम-नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री लखन सिंह उम्र 28 साल जाति जाटव निवासी नंगला होता पोस्ट मदनपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान) मो. नं. हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली 04.12.2025, हस्ता. स्वतंत्र गवाह-पुष्पेन्द्र सिंह क.स.08.12.2025 व राजन सिंह क.स. 08.12.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 04.12.2025 को समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेश कुमार से जरिये वाट्स-एप कॉल हुई वार्ता अनुसार मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय श्री बृजेश कुमार कानि. 461 मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूई 0815 मय चालक श्री बृजेश कुमार 562 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड, लेपटॉप-प्रिन्टर आदि सामग्री के कार्यालय से समय 10.30 ए.एम. पर रवानाशुदा श्री नरेश कुमार के बताये हुए स्थान बयाना-हिण्डौन रोड़ स्थित गणेश मन्दिर नियर सिकन्दरा पर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जो वाहन को देखकर मन पुलिस निरीक्षक के पास आया व अपने आपको नरेश कुमार होना बताते हुए मन पुलिस निरीक्षक का नाम पूछा जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना नाम व पद बताया। इस पर उक्त व्यक्ति नरेश कुमार को मन पुलिस निरीक्षक ने सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया तत्पश्चात श्री नरेश कुमार ने अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उपर्युक्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका अवलोकन कर परिवादी श्री नरेश कुमार से लिखित प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पूछताछ की तो परिवादी ने लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे पिता श्री लखन सिंह की मृत्यु दिनांक 12.11.2022 को हो जाने पर मैने व मेरे परिवारजन ने पैतृक जमीन का हमारे नाम नामान्तकरण खोलने के लिए माह अगस्त 2025 में फाईल तैयार करवाकर हमारे गांव के पटवारी अखिलेश के मार्फत तहसील बयाना में जमा करवाई। हमारा नामान्तकरण नही खुलने पर मैं पटवारी से मिला तो पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण खोलने हेतु मेरे से 7000 रूपये मांगे। पटवारी बिना रिश्वत के हमारा विरासत का नामान्तकरण नही खोल रहा है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित व स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं पटवारी से उधार का लेन-देन बकाया नही होना व ना ही कोई दुश्मनी होना बताया परिवादी से एडेरस प्रूव बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिष्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को सरकारी वाहन के पीछे-पीछे आने की हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के जरिये सरकारी वाहन गणेश मन्दिर नियर सिकन्दरा से रवाना हो बयाना स्थित श्याम सरोवर कॉलोनी पुलिया के पास पहुंचा जहां पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को सत्यापन प्रक्रिया के बारे में बताया तथा मेरे निर्देशानुसार श्री बृजेश कुमार कानि. 461 ने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेनडिस्क डालकर समय 01.34 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी की शर्ट की जेब में रखवाकर परिवादी श्री नरेश कुमार व श्री बृजेश कुमार कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु संदिग्ध आरोपी पटवारी के पास रवाना किया गया जो उसी रोज समय 02.00 पी.एम. पर बाद सत्यापन मन पुलिस निरीक्षक के सरकारी वाहन के पास आये श्री बृजेश कुमार ने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द हालत में मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसको सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं और बृजेश मोटर साईकिल से आपके पास से रवाना होकर पंचायत समिति बयाना के पास पहुंचे व बृजेश जी मेरी मोटर साईकिल से उतर कर मेरे से अलग हो गये तथा मैं पूछताछ कर रावत मोबाईल एवं रिपेयरिंग सेन्टर के उपर बने पटवारी की ऑफिस पर पहुंचा जहां पर पटवारी के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी थे जिनको मैं नही जानता हूं वो अपने काम में लग रहे थे तथा आपस में वार्ता कर रहे थे। मैंने पटवारी से मेरे काम के बारे में बात की तथा पूर्व में मांग किये गये 7000 रूपये में से कम करने की कहा तो

पटवारी ने कहा कि तेरी इच्छा हो वो दे दे। मैने 5000 रूपये देने की कहा तो वह सहमत हो गया। मैं थोड़ी देर रूपये लेकर आने की कहकर नीचे आया और रिकार्डर बन्द कर पास ही खडे बृजेश जी को दे दिया जिन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया और हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके पास आये है। इस पर श्री बृजेश कुमार कानि. 461 से प्राप्त शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाई गई। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं जल्दबाजी में पटवारी को अभी रूपये देने की कहकर आया हूं। ऐसी स्थिति में अभी ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः परिवादी को निर्देश दिये कि आप पटवारी के पास वापस जाओं और उनको कहो कि अभी एटीएम से रूपये नही निकल रहे, मैं सोमवार को रूपये आपको दे दूंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बृजेश कुमार कानि. 461 द्वारा समय 02.38 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्ड कर चालू हालत में वाईस रिकार्डर पुनः परिवादी की शर्ट की जेब में रखवाया गया और परिवादी श्री नरेश कुमार व श्री बृजेश कुमार कानि. को संदिग्ध आरोपी पटवारी के पास पुनः सत्यापन हेतु रवाना किया गया जो समय 02.55 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के सरकारी वाहन के पास वापस आये व श्री बृजेश कुमार ने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द हालत में मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसको सुरक्षित रखा तत्पश्चात परिवादी ने पूछने पर बताया कि पहले की तरह हम आपके पास से रवाना हो पंचायत समिति बयाना के पास पहुंचे बृजेश जी साईड मे खड़े हो गये और मैं पटवारी के पास गया जिसको मैने कहा कि अभी एटीएम से रूपये नही निकल रहे है मैं आपको सोमवार को 5000 रूपये दे जाउंगा। इस पर उसने सोमवार को देने की कहा है। फिर मैं वहा से रवाना होकर नीचे आकर रिकार्डर बन्द कर बृजेश जी के पास आ गया और रिकार्डर इनको दे दिया। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाई गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित रखा जाकर परिवादी को दिनांक 08.12.2025 को समय 07.00 एएम पर आरोपी पटवारी को देने हेतु 5000 रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप-प्रिन्टर आदि सामग्री के बयाना से रवाना होकर समय 05.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय करौली आया जहां पर डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया इसके बाद दिनांक 05.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री बृजेश कुमार मीणा कानि. चालक नम्बर 562 को तहरीर सहित कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संशाधन विभाग, खण्ड करौली भेजकर दो स्वतंत्र गवाह श्री राजन सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संशाधन खण्ड करौली एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संशाधन उपखण्ड हिण्डौन सिटी जिला करौली को तलब कर बुलाया जाकर उनके नाम पते पूछकर उन्हें कार्यवाही से अनभिज्ञ रखा जाकर दिनांक 08.12.2025 को समय 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 07.12.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी नरेश कुमार उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि दिनांक 08.12.2025 को मैं सुबह जल्दी 7 बजे कार्यालय नही आ सकता था इसलिए आज ही आ गया हूं। परिवादी ने आरोपी को देने हेतु 5000 रूपये साथ लाना बताया। इस पर परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय में रोका गया, इसके बाद दिनांक 08.12.2025 को समय 07.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राजन सिंह एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही से अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 04.12.2025 को दिखाया व पढ़वाया जाकर उस पर प्रमाण स्वरूप उनके हस्ताक्षर मय दिनांक करवाये गये। इसके बाद कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी पटवारी अखिलेश के मध्य दिनांक 04.12.2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकार्ड है को बाहर निकालकर उसको विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डालकर सरकारी लेपटॉप में अटैच कर टेबल स्पीकर की मदद से रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड वार्ता को चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के स्पष्ट मुख्य अंश सुनाये गये तो गवाहान द्वारा वार्ता को सुनकर मांग का स्पष्ट होना स्वीकार किया, समय अभाव के कारण रिकार्ड वार्ता की कार्यवाही उपरान्त फर्द ट्रासक्रिप्ट व पैनड्राईव तैयार किया जाना उचित समझते हुये वाईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मार्क-ए अंकित कर कबर में रखवाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, इसके बाद समय 08.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री नरेश कुमार ने मांगने पर आरोपी पटवारी अखिलेश को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/-रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्री केशव देव कानि. नं. 600 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5000/-रूपये के नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री नरेश कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजन सिंह कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन व खर्चा पानी के 2330/-रुपये के अलावा अन्य कोई वस्तु नही पाई गई। इसके बाद श्री केशव देव कानि. 600 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5000/-रूपये

परिवादी श्री नरेश कुमार के बदन पर पहनी हुई जेन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री राजन सिंह से कार्यालय में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. 600 के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री केशव देव कानि. 600 से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये तथा परिवादी को छोडकर सभी की आपस में तलाशी लिवाई गई जिसमें मोबाईल व परिचय पत्र के अलावा कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं दी गई, इसके बाद परिवादी श्री नरेश कुमार को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी पटवारी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड लगाकर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर सुपुर्द किया गया, इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 09.25 ए. एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक-दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई तथा परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही एवं परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। इसके बाद श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं. 70 को मय श्री समय सिंह हैड कानि0 नं. 45, श्री बृजेश कुमार कानि0 नं0 461, श्री विष्णु सिंह कानि. नं. 135 एवं परिवादी नरेश कुमार के मय ट्रेप बौक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर, सरकारी वीडियो कैमरा आदि उपकरणो के जरिये सरकारी वाहन बोलेरों गाडी मय चालक श्री बृजेश कुमार नम्बर 562 के बाद हिदायत आगे-आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राजन सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री पुष्पेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, व श्री अजय कुमार एएसआई, श्री राकेश सिंह कानि0 नं. 268 के वास्ते ट्रेप कार्यवाही निजी वाहन से परिवादी की सूचना अनुसार बयाना जिला भरतपुर के लिये रवाना हुआ तथा कार्यालय में नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री केशवदेव कानि0 नम्बर 600 को एवं अन्य शेष स्टाफ को बाद हिदायत छोडा गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के समय 11.20 ए.एम. पर कस्बा बयाना में श्याम सरोवर कोलोनी पुलिया के पास पहुंचा जहां पर आरोपी पटवारी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री नरेश कुमार से उसके मोबाईल नम्बर से आरोपी अखिलेश पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय 11.27 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो आरोपी पटवारी ने परिवादी को स्वंय का ऑफिस में होना बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहन, ट्रेप पार्टी व परिवादी सहित जरिये वाहन रवाना होकर पंचायत समिति बयाना तिराहा के पास पहुचा और वाहनों को रोड के साईड में खडा करवाकर परिवादी को मय डिजीटल वायस रिकॉर्डर के आरोपी पटवारी के पास उसके किराये के ऑफिस पर रवाना किया गया जो तिराहा के पास बांयी साईड में बनी दुकानों में स्थित दुकान रावत मोबाईल पोईन्ट के पास बनी सीढियों से होकर उपर चला गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के वाहनों से उतरकर मौका स्थिति अनुसार आस पास खडे होकर परिवादी के नियत ईशारे का इंतजार करने लगा। तत्पश्चात परिवादी श्री नरेश कुमार ने उक्त दुकानों के प्रथम मंजिल पर बने कमरे से बाहर निकलकर छत के उपर से ही अपने सिर पर हाथ फेरकर समय 12.21 पीएम पर नियत ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित सीढियों से चढकर प्रथम मंजिल पर पहुचा जहां पर कमरे के बाहर छत पर उपस्थित परिवादी से डिजीटल वायस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अकलेश कुमार मीना पटवारी ने उससे 5000 रुपये रिश्वत में अपने दांहिने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रख लिये है और वह अन्दर

कमरे मे कुर्सी पर बैठा हुआ है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी को साथ लेकर उक्त कमरे के अन्दर पहुंचा। जहां पर एक व्यक्ति पैन्ट,शर्ट गर्म जर्सी पहने कुर्सी पर बैठा हुआ कार्य करता मिला तथा उसके हाथ में मोबाईल लगा मिला, जिसकी तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि यही पटवारी अकलेश कुमार है जिन्होने मुझसे से मेरे पिता लखन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी ग्राम पीलूपुरा व नंगला होता में स्थित खातेदारी भूमि का मेरे व मेरे परिजनों के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोलने के लिये 5000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर अभी अभी मुझसे प्राप्त किये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अकलेश कुमार मीना पुत्र श्री ब्रजमोहन मीना जाति मीना उम्र 28 साल निवासी ग्राम रिठौली पुलिस थाना सदर हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर होना बताया, चूंकि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में पटवारी का नाम अखिलेश लिखा है जबकि आरोपी द्वारा अपना शुद्व नाम अकलेश कुमार मीना होना बताया है, अतः आगे आरोपी का नाम अकलेश कुमार मीना पढा जावेगा।, आरोपी के हाथ मे लगे मोबाईल को टेबल पर रखवाया गया तत्पश्चात आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी से परिवादी श्री नरेश कुमार से उसके पिता लखन सिंह की बाके ग्राम पीलूपुरा व नंगला होता में स्थित खातेदारी भूमि का लखन सिंह की मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तरकरण परिवादी व उसके परिजनों के नाम खोलने की एवज में स्वयं के लिये 5000 रुपये की रिश्वत की मांग कर प्राप्त करने का कारण पूछा तो पटवारी अकलेश कुमार मीना ने घबराते हुये बताया इस नरेश कुमार ने अपने पिता लखन सिंह पुत्र सामरे की मृत्यु हो जाने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज दिनांक 04.12.2025 को उनकी ग्राम पीलूपुरा व नंगला होता में स्थित खसरा नम्बर 147 पुराना व 146 नया, व खसरा नं. 35,195,24 की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खोलने के लिये मुझे दिये थे, इसके अलावा मेरी जो हल्का पटवारी की आईडी है उस पर किसी प्रकार का कोई आवेदन ऑॅनलाईन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे द्वारा नेट/साईट नहीं चलने एवं ऑॅनलाईन आवेदन प्राप्त नहीं होने की वजह से नामान्तरकरण विरासत का नहीं खुल पाया, मेरे द्वारा इस कार्य के बदले इस नरेश कुमार से कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी और ना ही ली है। इसके बाद आरोपी पटवारी द्वारा बताये गये तथ्यों के बारे मे मौके पर उपस्थित परिवादी नरेश कुमार से पूछा गया तो उसने अकलेश पटवारी के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि-मेरे पिता लखन सिंह की ग्राम पीलूपुरा व नंगला होता में स्थित खातेदारी भूमि का मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण मेरे व मेरे परिजनों के नाम खुलना था जिसके लिये माह अगस्त 2025 में मृत्यू प्रमाण पत्र आदि कागजात इन पटवारी जी को दिये थे जिस पर इन्होने मुझसे उक्त कार्य को करने के बदले में 7 हजार रूपये रिश्वत में मांगे और बिना रिश्वत दिये काम करने से मना कर दिया तो मैने आपसे सम्पर्क कर दिनांक 04.12.2025 को इन पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिये लिखित शिकायत दी थी जिस पर आपके द्वारा उसी रोज अपने कर्मचारी बृजेश कुमार के साथ वाईस रिकॉर्डर सहित इन पटवारी जी के पास भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन कराया था तो इन्होने अपनी पूर्व की मांग अनुसार 7 हजार रूपये में से मेरे कम करने के निवेदन पर कहा कि तेरी इच्छा हो वो दे दे तो मैने 5000 रूपये देने की कहा तो यह सहमत हो गये, और उसी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा फोन करने पर इन्होने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मुझसे 5000 रुपये अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनकर पेन्ट की जेब में रख लिये। इसी बीच मेने मौका पाकर कमरे से बाहर आकर छत के उपर से ही आपको ईशारा कर दिया। जिस पर आपने आकर इन पटवारी को पकड लिया तथा परिवादी ने बताया कि इन पटवारी जी ने मुझे ऑॅनलाईन आवेदन करने के बारे में नहीं बताया था, इन्होने मेरे द्वारा दिये गये आवेदन व कागजातों पर ही नामान्तरकरण खोलने के लिये कहा था। परिवादी के उक्त कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः अकलेश कुमार मीना पटवारी से पूछा गया तो आरोपी पटवारी ने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई, इसके बाद आरोपी पटवारी अकलेश कुमार मीना से परिवादी से प्राप्त की गई 5000 रुपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मैने ना तो कोई रिश्वत मांगी और ना ही ली है ना ही मुझे इसकी कोई जानकारी है। इस पर गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से अकलेश कुमार मीना पटवारी की पहनी पैन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वत राशि नहीं मिली, जिस पर पुनः पटवारी से रिश्वत राशि कहां के बारे में पूछा तो उसने स्वयं को जानकारी नहीं होना बताया, इसके बाद मौके पर उपस्थित परिवादी से पूछा तो उसने बताया कि इन पटवारी ने मुझसे रिश्वत राशि लेकर पैन्ट की जेब में रखी थी जैसे ही मै बाहर ईशारा करने आया उसी दौरान इन्होने उक्त राशि कहीं छिपा दी होगी। इस पर दूसरे गवाह श्री राजन सिंह कनिष्ठ सहायक से आरोपी पटवारी के बैठने की टेबल पर रखे कागजों, टेबिल की दराजों को चैक करवाया तो टेबिल की प्रथम दराज के अन्दर एक 500-500 रुपये के नोटो की मुडी हुई गड्डी निरीक्षण पटवार मण्डल खाली प्रपत्र पर रखी हुई दिखाई दी जिसको मय प्रपत्र के उक्त गवाह से उठवाकर राशि को चेक करवाया तो 500-500 रुपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रुपये मिले जिनके नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले, जिन्हे मय प्रपत्र के गवाह राजन सिंह कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी से रिश्वत राशि स्वयं की टेबिल की प्रथम दराज के अन्दर से मिलने के बारे में पूछा तो पटवारी ने बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, यह राशि मेरी टेबिल की दराज में यह नरेश कुमार मेरे पीछे से रख गया होगा, उक्त तथ्यो के बारे में परिवादी ने पूछने

आरोपी के उक्त कथन का झूठा होना बताया। तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से वाहन में से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर मंगवाया गया और कमरे में रखी पानी की बोतल मंगवाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को श्री सुमेर सिंह हैड कानि. से निकलवाकर उनमें पानी भरवाया जाकर उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांई देता हुआ होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ काँच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क- RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया । उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांई देता हुआ हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया।तत्पष्चात गवा श्री राजन सिंह कनिष्ठ सहायक के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के कब्जे से उसके कार्य करने की टेबल की प्रथम दराज में निरीक्षण पटवार मण्डल प्रपत्र के खाली पृष्ठ पर रखी होकर मिली रिश्वत राशि 5000 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया विवरण फर्द बरामदगी में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रुपये मिलान होना पाया गया तत्पश्चात निरीक्षण पटवार मण्डल प्रपत्र जिस पर रिश्वत राशि रखी मिली थी को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाकर हल्का गुलाबी धोवन को दो कांच की शीशीयों में आधा-2 भरवाकर सील्ड मोहर कर मार्क k-1 k-2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा बरामद शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रुपये को मय निरीक्षण पटवार मण्डल प्रपत्र को सफेद कागज की चिट के साथ शील्ड मोहर कर चिट व प्रपत्र पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बंरग नीली को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर स्टाफ के जरिये आरोपी पटवारी के किराये के आवास से अन्य पजामा मंगवाकर पहनवाया गया तथा श्री सुमेर सिंह हैड कानि से ट्रेप बॉक्स मे से एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी डलवाकर थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के बदन से उतरवाये हुये नीले रंग के पेंट की दांहिनी साईड की सामने वाली जेब को उलटवाकर श्री सुमेर सिंह हैड कानि से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सम्न्धितों ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा डलवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई दांहिनी साईड की सामने की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट बंरग नीला को कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉडर मैमोरी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन के समय की मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी से परिवादी के विरासत का नामान्तरकरण खोलने सम्बन्धी दस्तावेजों के बारे में पूछा तो उसने अपने पास होना बताया जिन्हें पृथक से प्राप्त कर जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया तो नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ, पैन्ट की जेब की धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा में जरिये बृजेश कुमार कानि. कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 36 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार बयाना को आरोपी पटवारी का सेवा विवरण भिजवाये जाने बाबत पत्र जारी कर जरिये विशेष वाहक भिजवाया गया तथा समय 03.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी श्री नरेश कुमार की निशादेही पर पर्याप्त रोशनी में घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक

द्वारा परिवादी श्री नरेश कुमार के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर आरोपी श्री अकलेश कुमार मीना पटवारी द्वारा अपने कार्य करने की टेबल पर रखे दस्तावेजों में से परिवादी नरेश कुमार द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने बाबत पेश मूल/फोटो प्रति दस्तावेज निकालकर पेश किये जिनको जप्त करने से परिवादी का कार्य बाधित होने की सम्भावना को देखते हुये दस्तावेज 01 लगायत 21 के प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मौके पर उपस्थित आये हुये श्री लालचन्द तहसीलदार बयाना को सुपुर्द कर फोटो प्रति करवाई जाकर फोटो प्रतियों को तहसीलदार से प्रमाणित कराकर प्रमाणित प्रतियों को बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मूल दस्तावेज श्री लालचन्द तहसीलदार को परिवादी का नियमानुसार कार्य करने/करवाने बाबत सुपुर्द किये गये। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात परिवादी के पिता की वाके ग्राम पीलुपुरा व नंगला होता स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नया 146 पुराना 147 व खसरा नम्बर 35,195,24 की जमाबन्दी की ऑ◌ॅनलाईन प्रमाणित प्रतियां एवं आरोपी पटवारी का सेवा विवरण तहसीलदार बयाना श्री लालचन्द से प्राप्त किये गये तथा तहसीलदार को आरोपी पटवारी के जिम्मे का उक्त कमरे में रखा रिकार्ड आदि को अपने कब्जे में लेने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 04.50 पी.एम. पर आरोपी श्री अकलेश कुमार मीना पटवारी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी स्वंतन्त्र गवाह पुष्पेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो तलाशी में पहने हुये कपडों के अलावा शर्ट की जेब में 50 रूपये मिले जिन्हें एवं वक्त हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि के समय टेबल पर रखवाये गये पटवारी के मोबाईल फोन वीवो मय सिम के आरोपी की स्वेच्छा से उसके ताऊ के लडके श्री मनमोहन मीना को सुपुर्द किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना भी आरोपी की स्वयं की इच्छा से श्री मनमोहन मीना को दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये इसके बाद समय 05.30 पी.एम. पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अकलेश कुमार मीना पटवारी को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत आर्टिकल्स आदि सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा, वॉईस रिकार्डर आदि सामग्री के जरिये सरकारी/निजी वाहन मय चालक के घटना स्थल बयाना से रवाना होकर समय 07.25 पी.एम पर एसीबी कार्यालय करौली वापस आया जहां पर समस्त बजह सबूत को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक सुमेर सिंह करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी पटवारी अकलेश कुमार मीना को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया, इसके बाद गिरफतार शुदा अभियुक्त श्री अकलेश कुमार मीना पटवारी को खाना खिलाकर जाप्ता की निगरानी में जिला चिकित्सालय करौली भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया, इसके बाद समय 09.40 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड मार्क-ए जिसमें परिवादी नरेश कुमार व आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी के मध्य दिनांक 04.12.2025 को रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय आलमारी में से निकालकर उसे विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगाकर उसको लेपटॉप तोसीबा कम्पनी से अटैच कर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण केशव देव कानि. नम्बर 600 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशवदेव शर्मा कानि. नम्बर 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में संग्रहित करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर मूल मैमोरी कार्ड एवं डब पैनड्राईव आईओ प्रति मार्क-ए-3 की लेपटॉप की मदद से एस्सेस डाटा एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हैज वैल्यू निकाली जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात उक्त तीनों पैनड्राईवों को कबरों में सुरक्षित रख कवर के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ता के मूल सेंडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको कवर में रखकर उसे सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया, तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2 एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क-ए को मालखाना प्रभारी सुमेर सिंह हैड कानि. 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद दिनांक 09.12.2025 को समय 12.10 एएम पर परिवादी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 08.12.2025 की आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी व परिवादी नरेश कुमार के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन मोबाईल एवं रूवरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप तोसीबा कम्पनी से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की

परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण केशव देव कानि. नम्बर 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशव देव शर्मा कानि. 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईव आईओ प्रति मार्क-बी-3 की लेपटोप की मदद से एस्सेस डाटा एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हैज वैल्यू निकाली जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई, तथा उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क बी-2को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क बी,, अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई. ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-बी-1, बी-2 एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क-बी को मालखाना प्रभारी सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 02.30 ए.एम. पर दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई रिश्वत बरामदगी व हाथ, पेन्ट की जेब धुलाई सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि0 बृजेश कुमार संग्रहित करवाया जाकर मार्क वीडी-1 व वीडी-2 एवं वीडी-3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-वीडी-1 व वीडी-2 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-वीडी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-वीडी-1, वीडी-2 को मालखाना प्रभारी सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं. 36 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 36,,अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त आर्टिकल को जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली करौली भेजकर गिरफतार शुदा अभियुक्त अकलेश कुमार मीना पटवारी को हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा नकल रपट रोजनामचाआम को शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात अभियुक्त श्री अकलेश कुमार मीना पटवारी से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से समय 11.00 ए.एम. पर रूखसत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त अकलेश कुमार मीना पटवारी को खाना खिलाकर मुलाजमानों की निगरानी में कार्यालय में रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम भरतपुर में पेश किया जावेगा।अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी अकलेश कुमार मीना पटवारी, पटवार हल्का धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री लखन सिंह उम्र 28 साल, जाति जाटव, निवासी नगला होता, पोस्ट मदनपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर से उसके पिता लखन सिंह पुत्र सामरे की वाके ग्राम पीलूपुरा व नंगला होता स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. नया 146 पुराना 147 व खसरा नम्बर 35,195, 24 का लखन सिंह की मृत्यु दिनांक 12.11.2022 को होने के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण परिवादी व उसके परिवारजनों के नाम खोलने की एवज में वक्त सत्यापन दिनांक 04.12.2025 को स्वयं के लिये 5000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 5 हजार रूपये दिनांक 08.12.2025 को परिवादी को पंचायत समिति बयाना तिराहा के पास दयाराम गुर्जर की दुकानों की प्रथम मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस के रूप में काम में लिये जा रहे किराये के कमरे पर बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 5 हजार रुपये की राशि उसके कब्जे से उसकी कार्य करने की टेबल की प्रथम दराज के अन्दर से निरीक्षण पटवार मण्डल प्रपत्र के खाली पृष्ठ के उपर रखी हुई होकर तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात स्वयं के कब्जे से कार्य करने की टेबिल के उपर से बरामद होना पाया गया है।अतः श्री अकलेश कुमार मीना पुत्र श्री ब्रजमोहन मीना जाति मीना उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रीठौली पोस्ट गांवडा मीना पुलिस थाना सदर हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।(जगदीश भारद्वाज)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करौली..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया

जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अकलेश कुमार मीना पुत्र श्री ब्रजमोहन मीना जाति मीना उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रीठौली, पोस्ट गांवडा मीना, पुलिस थाना सदर हिण्डौन सिटी, जिला करौली, हाल पटवारी, पटवार हल्का धाधरैन, तहसील बयाना, जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 142 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1847-50 दिनांक 10.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- जिला कलक्टर, भरतपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1 2/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)